संचिका सं0–10 / विविध–15–02 / 2014..........378(10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वाराः– वित्त विभाग ।

पटना, दिनांक– 21.07.14

विषयः– **बिहार स्वास्थ्य सेवा के पुनर्गठन के निमित विभिन्न कोटि के पदों की संख्या के पुनर्निधारण के साथ–साथ पद सृजन की स्वीकृति ।**

आदेशः– स्वीकृत ।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2013 के तहत तीन डायनेमिक ए0सी0पी0 का लाभ 6–6 वर्षों की सेवा के अन्तराल पर पद उत्क्रमण सहित अनुमान्य होता है । फलस्वरूप बहुसंख्यक चिकित्सक डायनेमिक ए0सी0पी0 के तहत वेतन बैंड–4 (37400–67000) में ग्रेड पे 8700) –प्राप्त कर लेने के बाद भी जिला के विभिन्न अस्पताल में कार्यरत रहते हैं, अतः उनके नियंत्री पदाधिकारी का उनसे उच्चतर स्तर अर्थात् वेतन बैंड–4 के ग्रेड पे 8900 / – एवं 10,0000 / –में किया जाना वांछनीय है । इसी परिप्रेक्ष्य में बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के द्वारा उच्च स्तर के प्रशासनिक पदों का पुनर्गठन एवं वृद्धि, प्रोन्नति, विशेषज्ञ चिकित्सकों उच्चतर वेतनमान की स्वीकृति, निदेशालय एवं क्षेत्रीय संरचना को पुनर्निधारित करने आदि की मांग सरकार के विभिन्न स्तरों पर समय–समय पर की जाती रहीं है । संघ की मांगों पर निर्णय लिये जाने हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति के गठन के पश्चात् सम्पन्न अनेक बैठकों में संघ के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श कर राज्य में स्वास्थ्य सेवा को उन्नत तथा सुदृढ़ बनाने की दिशा में संघ के मांग के अलावे भी समिति द्वारा कतिपय अनुशंसाएँ की गई एवं उन अनुशंसाओं के आलोक में विभागीय संलेख ज्ञापांक–132(2), दिनांक–31.01.2014 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–05.02.2014 में स्वीकृत किया गया ।

2. समिति द्वारा अनुशंसित कंडिकाओं में कंडिका 4.16 के अनुसार मूल कोटि एवं उच्चतर पदों को निम्नवत् चिन्हित् करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा दी गई हैः–

क्रम	पदनाम	वेतनमान PB GP	पदों की संख्या
1	मूल कोटि	पी0बी0–2 ग्रेड पे– 5400	4480
2	प्रथम प्रोन्नति	पी0बी0–3 ग्रेड पे–6600	2045
3	द्वितीय प्रोन्नति (उप निदेशक एवं समकक्ष)	पी0बी0–3 ग्रेड पे–7600	1065
4	तृतीय प्रोन्नति (अपर निदेशक एवं समकक्ष)	पी0बी0–4 ग्रेड पे–8700	231
5	चतुर्थ स्तर (निदेशक)	पी0बी0–4 ग्रेड पे–8900	21
6	पंचम स्तर (निदेशक प्रमुख)	पी0बी0–4 ग्रेड पे–10000	5
		कुल	**7847**

3. बिहार स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2013 के अंतर्गत विशेषज्ञों के लिए अलग उपसंवर्ग विशेषज्ञ ग्रेड I एवं II का प्रावधान है, जिसके संबंध में समिति द्वारा विचार एवं अनुशंसा नहीं की जा सकी । साथ ही सेवा नियमावली में विशेषज्ञ उपसंवर्ग के चिकित्सकों को सामान्य चिकित्सकों से एक स्तर उच्चतर वेतन (GP) दिया जाना है । अतएव इस उपसंवर्ग के साथ चिकित्सक सेवा संवर्ग को निम्नवत् पुनर्गठित किया जाता है:—

क्रम	पदनाम / कोटि	पी0बी0 / ग्रेड पे	पूर्व से सृजित पदों की संख्या	समिति द्वारा पुनर्निर्धारित पदों की संख्या	नये पदों के सृजन की संख्या
1	2	3	4	5	7
1	मूल कोटि (सामान्य चिकित्सक उपसंवर्ग)	पी0बी0—3 जी0पी—5400	5777	4480	—
2	वरीय चिकित्सका पदाधिकारी (सामान्य चिकित्सक प्रथम प्रोन्नति)	पी0बी0—3 जी0पी0 — 6600	741	2045	—
3	उपनिदेशक एवं समकक्ष (सामान्य चिकित्सक द्वितीय प्रोन्नति)	पी0बी0—3 जी0पी0—7600	97	1065	—
4	मूल कोटि (विशेषज्ञ उपसंवर्ग)	पी0बी0—4 जी0पी0 — 6600	3526	—	—
5	वरीय विशेषज्ञ चिकित्सक (प्रथम प्रोन्नति)	पी0बी0—3 जी0पी0 — 7600		—	—
6	विशेषज्ञ चिकित्सक का द्वितीय प्रोन्नति एवं सामान्य चिकित्सक का तृतीय प्रोन्नति (अपर निदेशक एवं समकक्ष)	पी0बी0—4 जी0पी0 — 8700	30	231	201
7	विशेषज्ञ चिकित्सक का तृतीय प्रोन्नति एवं सामान्य चिकित्सक का चतुर्थ प्रोन्नति (निदेशक स्तर)	पी0बी0—4 जी0पी0 — 8900	1	21	20
8	विशेषज्ञ चिकित्सक का चतुर्थ प्रोन्नति एवं सामान्य चिकित्सक का पंचम प्रोन्नति (निदेशक प्रमुख)	पी0बी0—4 जी0पी0 — 10000	1	5	4
	कुल—		10173	7847	225

4. उपर्युक्त तालिका के आलोक में बिहार स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सक संवर्ग का सृजित कुल पदों की संख्या—10173 (स्तंभ—4) के विरूद्ध उच्चस्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित पदों की संख्या—7847 (स्तंभ—5) एवं विशेषज्ञ चिकित्सक के सृजित पदों की संख्या—3526 (स्तंभ—4 का कॉलम 4 एवं 5) के साथ कुल 7847+3526=11373 के अंतर्गत चिकित्सक संवर्ग का कोटिवार पदों का संरचना का पुर्ननिर्धारण कुल 10398 पदों (यथा स्तंभ—6) करते हुए कुल 225 (यथा स्तंभ—7) पदों का सृजन किया जाता है ।

378(10)
21.07.14

5. उक्त पद सृजन के फलस्वरूप अतिरिक्त व्यय वहन नहीं होना है क्योंकि वरीय चिकित्सकों द्वारा समरूप आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा रहा है ।

6. एतद संबंधी प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

7. प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री (स्वास्थ्य) का अनुमोदन संचिका सं0–10/विविध–15–02/2014 के पृष्ठ सं0–05/टि0 पर प्राप्त है।

8. बिहार स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सक संवर्ग का विभिन्न कोटिवार कुल 10398 पदों का निर्धारण/चिन्हितिकरण करते हुए उच्चतर तीन कोटि का कुल 225 पदों का सृजन किये जाने हेतु मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक– 01.07.2014 में मद संख्या–21 के रुप में सम्मिलित एवं स्वीकृत किया गया है।

9. राशि की निकासी यथावत संगत शीर्ष/उपशीर्ष से संबंधित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– 378 (10) /स्वा0, पटना, दिनांक– 21.07.14

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, पटना/ कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पटना/सभी सिविल सर्जन/संबंधित कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्य (स्वास्थ्य) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1, 2, 3, 10 एवं आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।